राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–4] नवम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का प्रथम दिवस [संख्या–1

शुक्रवार,

22 फरवरी, 1991

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.45 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सभापति तालिका के लिए मनोनयन।

सभापति तालिका के लिए मनोनयन :

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत श्री रमाकान्त शर्मा, सदस्य को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सचिव, विधान सभा।

व्यवस्था का प्रश्न
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सदन के पटल पर रखना

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, आज का दिन क्योंकि इस वर्ष के सत्र का प्रथम दिवस था इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए रखा गया था। यह संवैधानिक दायित्व है राज्यपाल महोदय का कि वह प्रथम सत्र को सम्बोधित करें। आज कुछ कारणों से राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया नहीं और यह फर्मा दिया कि इस भाषण को पढ़ा हुआ माना जाय। यह कोई प्रथम घटना नहीं है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर बाधायें उपस्थित होती रही हैं उनमें राज्यपाल महोदय, सदन के वरिष्ठ नेतागण माननीय सदस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनको अभिभाषण सुनना चाहिए। आज भी शुरू में कुछ बाधायें उत्पन्न हुई लेकिन अभिभाषण सुनाने के या माननीय सदस्य सुनें उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए और पूर्व परम्पराएं सदैव यह रही हैं कि जब बाधायें उपस्थित होती हैं तो अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय ऐसा सदन के किसी माननीय सदस्य अथवा सदन के नेता की तरफ से प्रस्ताव आता है कि इस अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। क्योंकि दो पक्ष हैं। एक पक्ष है राज्यपाल महोदय का जो सदन को सम्बोधित करते हैं। दूसरा पक्ष है माननीय

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सदस्यगण जो उनका अभिभाषण सुनते हैं। सुनाने वाला व्यक्ति अपने आप ही संतुष्ट हो जाय कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय यह कार्यवाही बिल्कुल ही एक तरफा होगी, जो पालियामेन्ट्री सिस्टम और उसके जो नियम हैं उनके प्रतिकूल होगी। यदि निरन्तर बाधायें बनी रहें, होता यह आया है कि कुछ अंश जो शुरूआत के हैं उनको पढ़ लेते हैं और अन्दर की दो-चार लाइनें पढ़ लेते हैं और उसके बाद में प्रस्ताव आता है कि इस अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय और सदन की सहमति ली जाती है। तो ऐसा यहां कुछ नहीं हुआ, न सदन के किसी माननीय सदस्य अथवा किसी नेता ने, चाहे पक्ष के हो या कोई विपक्ष का, किसी ने भी न प्रयास किया और न ऐसा प्रस्ताव आया। इसलिए मैं समझता हूं कि कानून के संविधान की मंशा से देखा जाय तो अभिभाषण हुआ नहीं। इसलिए जब तक प्रथम सत्र में अभिभाषण नहीं हो सदन की कोई कार्यवाही चल नहीं सकती।

इसलिए इन परिस्थितियों में यह उचित होगा कि सत्रावसान कर दिया जाय, उसके बाद में सदन की बैठक दुबारा आहूत की जाय और फिर अभिभाषण दिलाया जाय राज्यपाल महोदय का।

श्री अध्यक्ष : और भी कोई बोलना चाहे आप में से ? और कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने जो आपत्ति सदन में उठाई, मैं समझता हूं कि यह कोई आपत्ति नहीं है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जैसा उन्होंने कहा कि संविधान के अन्तर्गत और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है उनका उत्तरदायित्व और उस उत्तरदायित्व के निर्वहन करने के लिए श्रीमान् राज्यपाल महोदय आज यहां आये थे। हमने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जिसमें विपक्ष के माननीय सदस्य भी शामिल हुए। राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और शुरू करने के साथ ही मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान विधान सभा में मैं और आपके पक्ष में भी कई माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस विधान सभा में अपना सारा जीवन व्यतीत किया है और हम सब लोगों ने मिलकर इस बात का प्रयत्न किया कि राजस्थान विधान सभा की परम्पराएं और राजस्थान विधान सभा का इतिहास जिस प्रकार का रहा है वह निरन्तर बना रहे और उसी प्रकार का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। मैं कई बार विपक्ष के नेता के रूप में भी कह चुका हूं कि राजस्थान विधान सभा की जिस प्रकार की परम्पराएं बनी हैं वह हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली हैं। हमारे आपस में मत-भेद हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार के प्रसंग हमने मन-मुटाव से तय नहीं किए हैं, हमने परम्पराओं के आधार पर सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं नहीं कहता कि विधान सभा में इस प्रकार के प्रसंग पहले नहीं आये हैं लेकिन विश्नोई जी इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि आज जैसा प्रसंग पहले कभी नहीं आया था जहां लाउड स्पीकर हटा लिया गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, रोशनी हटा ली गई हो और हाथ में से उनका अभिभाषण छीन लिया हो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप उनको बोलने दीजिए। आपको बोलना है तो बाद में बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं और तो कुछ नहीं लेकिन भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते श्री विश्नोई साहब यह आशा जरूर करता था कि कम से कम वह इस प्रसंग की निन्दा करते....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर): + + +(व्यवधान) + + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे राज्यपाल महोदय का क्या सम्बन्ध है ?

श्री चन्दनमल बैद : क्यों नहीं सम्बन्ध हैं, + + + आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी सहमति से यह अभिभाषण लिखा गया, उस अभिभाषण को सुनाना चाहते हैं, यह विधान सभा का अपमान करना चाहते हैं ? राज्यपाल महोदय का अपमान होता है, आपका अपमान होता और मेरा अपमान होता, इस सदन की गरिमा का अपमान है + + +

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह मानता हूं कि....(व्यवधान)

मेरी सुनें तो सही। मैंने पूनमचन्द जी विश्नोई का भाषण सुना है, जरा मेरा भी सुन लेओ। आप + + + राज्यपाल महोदय का अपमान करना अधिकार समझते हैं तो इस सदन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।

श्री चन्दनमल बैद : सबसे बड़ा सम्मान इस सदन का है। राज्यपाल महोदय को भी यह अधिकार नहीं है कि इस सदन का वह अपमान करें। अगर + + + अभिभाषण को पढ़ते हैं तो इस सदन का अपमान होता, आपका अपमान होता और मेरा अपमान होता, राज्यपाल महोदय का अपमान होता इस वास्ते हमने यह चाहा कि राज्यपाल महोदय इस अभिभाषण को नहीं पढ़ें। राज्यपाल महोदय के सम्मान से बड़ा सम्मान इस सदन का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं।....

श्री नत्थीसिंह : हमने अपमान नहीं अनुरोध किया था। यह अनुरोध किया था कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अनुरोध किया और मेम्बर्स को आगे बढ़ा दिया....

श्री नत्थीसिंह : हमने नहीं बढ़ाया, उन्होंने अनुरोध स्वीकार नहीं किया परिस्थितियां स्वयं उन्होंने पैदा की....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपनी चर्चा में और बातों को नहीं लाना चाहता, मैं इतना ही चाहता हूं कि कम से कम और किसी से नहीं, श्री पूनमचन्द विश्नोई से आशा

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जरूर करता हूं अध्यक्ष के नाते इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं में इस प्रश्न पर भी शायद एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का वह जिक्र नहीं करें, केवल यह कहें कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण शुरू किया और बाद में किसी ने कहा नहीं। मैं दोनों बातें बता देता हूं। इस समय आपने अचानक यह मामला उठाया है, मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण जब उन्होंने आरम्भ किया, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं कि उन्होंने आरम्भ किया, आरम्भ करने के बाद में सदन के माननीय सदस्यों ने, मैं कह नहीं सकता, इधर से भी आवाज आई कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : कहीं से कोई आवाज नहीं आई।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गलत बात नहीं कहता। आप तो आवाज लगा रहे थे, तो सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुद ही आवाज लगा रहे हैं वह सुनेंगे कैसे ? अब इसमें कोई कानूनी दृष्टि नहीं है और राज्यपाल महोदय स्वयं भी अधिकृत हैं कि हाउस में अगर इस प्रकार का डिसआर्डर होता है तो गवर्नर महोदय अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता। श्री पूनमचन्द जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व अध्यक्ष यदि इस प्रकार की अनुशासनहीनता के कामों को प्रोत्साहन दें, तो मैं बाई रूलिंग नहीं चाहता, मैं आपकी आत्मा से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम उसको टटोल कर आप कम से कम इस प्रकार की बात नहीं कहते। और कोई बात नहीं कहना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय विषयांतर हो गये हैं। मैंने टेक्नीकल पाइंट उठाया है कि अभिभाषण हुआ नहीं। अभिभाषण कई दफे नहीं पढ़े गये, उसमें बाधायें उपस्थित हो जाती हैं, कुछ परिस्थितयां हो जाती हैं, तो हमारी परम्पराएं यह रही हैं कि कम से कम सदन की तरफ से, खास तौर से सदन के नेता महोदय को उसमें राज्यपाल महोदय को यह निवेदन कर देना था और किसी न किसी रूप से सदन से सहमति लेते हैं कि अभिभाषण पढ़ लिया गया मान लिया जाये। अब वे यहां आये, तत्काल ऐसे समाप्त हो गया अभिभाषण।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : प्रस्ताव भी किया हुआ मान लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहमति नहीं होती है, यह तो आप भी जानते हैं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नहीं। होती है।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। और जहां तक मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये, अध्यक्ष महोदय, आसन का या राज्यपाल महोदय

(डा. चन्द्रभान)

का अपमान करने की हमारी कोई मन्शा नहीं है। हमने स्पष्ट कहा था कि यह अभिभाषण जिस मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार किया गया है, उसमें ऐसे मंत्री हैं जो दल बदलू हैं, +++ जो अयोग्य हैं, ऐसे मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार भाषण को हम नहीं सुनेंगे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक भ्रष्टाचार।

डा. चन्द्रभान : और जहां तक राज्यपाल महोदय के सम्मान का सवाल है मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, कि जिस पार्टी के वह सदस्य हैं, बी. जे. पी. के वह सदस्य हैं, तामिलनाडू में जो कुछ केन्द्र सरकार ने किया, आपकी पार्टी ने उसका समर्थन किया ? बिहार और तामिलनाडू में दोनों जगह।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपको तो क्षमा मांगनी चाहिये कागज छीनने के लिये।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं पाइंट आफ आर्डर रेज हुआ हैं। वैसे तो इस पाइंट के बारे में अनेक अध्यक्षों ने अपनी व्यवस्थाएं दी हैं और हाईकोर्टस् ने भी अपने डिसीजन्स दिये हैं। गवर्नर का एड्रेस संविधान की धारा 176 (ए) के अन्तर्गत एक संवैधानिक दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करने के लिये यहां आते हैं। इस सम्बन्ध में यह रूलिंग्स भी हैं कि गवर्नर की एड्रेस के समय किसी भी सदस्य को कुछ भी पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न ही खड़े होकर बोलने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद क्योंकि इस तरह के दृश्य दुर्भाग्यवश होने लगे हैं, इसलिये व्यवस्थाएं इस सम्बन्ध में दी गई हैं कि क्योंकि गवर्नर का यह दादित्व है, इसलिये इस दायित्व को पूरा करने के लिये स्वयं गवर्नर अपने अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये कह सकते हैं। अभिभाषण की प्रदि टेबल पर रख कर यह कह सकते हैं कि मैंने प्रति टेबल पर रख दी है, इसलिये पढ़ा हुआ मान लिया जाये। और यह परम्परा भी है कि प्रस्ताव आता है कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये। दोनों ही परम्परायें हैं। जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस तरफ से भी किसी ने आवाज उठाई कि पढ़ा हुआ मान लिया जाये....

एक माननीय सदस्य : मदन गोपालजी कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव भंवरलाल जी को रखना था।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था सुन लें।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम नहीं बताया कि कौन थे।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष : और गवर्नर महोदय ने भी यहां पर....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, माफी चाहूंगा। यह कह रहे हैं हमने सुना नहीं। मुझे आप बता दीजिये, आपने सब कुछ देखा है, किस ने पेपर छीने ? बता दीजिये। आप सुनने की बात करते हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने खुद फेंक दिये और पढ़ने से मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ता। यह मैंने सुना था और मैंने अपनी आंखों से देखा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। इसलिये मैं आप से निवेदन कर रहा था कि दोनों परम्परायें हैं। महामहिम गवर्नर ने मेरे सामने कहा था कि मेरे अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाये, मैं इसको टेबल पर रख रहा हूं। यह तो मैंने स्वयं सुना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमने तो यह सुना था कि मैं ऐसी +++ सरकार का दिया हुआ अभिभाषण पढ़ने से इन्कार करता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या सामान्य मर्यादा ही तोड़ेंगे। जब मैं खड़ा हूं माननीय सदस्य मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस को चलाने के लिये जो मर्यादाएं बनाई हुई हैं वह आपकी और इस हाउस की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए है। यदि कोई भी माननीय सदस्य उस मर्यादा को तोड़ता है तो हाउस की मर्यादा को भंग करता है अपनी नहीं करता है। (व्यवधान)

मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप नाम बताइए।

श्री अध्यक्ष . आप फिर खड़े हो गये। प्लीज सिट डाउन। आप खड़े मत होइए, जब मैं खड़ा हू। I am on my legs please sit down. आपको जब मैं बार-बार कह रहा हूं मैं जब खड़ा हूं इस मर्यादा को मत तोड़िए आप। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन॥

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कोई तरीका है, यह बोलने का तरीका सही नहीं है। आप किस तरह बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : एक छोटी सी मर्यादा का पालन नहीं कर सकते कि जब मैं खड़ा हूं....(व्यवधान)
आप फिर खड़े हो रहे हैं।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को अपोज करता हूं। यह कोई पुलिस इन्सपेक्टर नहीं हैं राजस्थान की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि....

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप भी मर्यादा रखिए, जिस तरीके से आप बोलते हैं....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डा. चन्द्रभान : आप हैड-मास्टर की तरह से व्यवहार मत कीजिए। हमारा आप से आग्रह है।

श्री रामनारायण वर्मा : यह पुलिस इंसपेक्टर नहीं है। सदन की मर्यादा की जिम्मेदारी आपकी है। आप मर्यादा भंग करने की जिम्मेदारी किस के ऊपर डालना चाहते हैं। आप मर्यादा बनाइये। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप गुस्से में आकर के इस चेयर से आदेश की पालना कराने के लिए कहते हो यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण परम्परा आप डाल रहे हो। आपका लचीला रुख ऐसा होना चाहिए कि आपकी वाणी से प्रभावित होकर के हम सब अपनी जगह बैठ जाएं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि मर्यादा रहनी चाहिए हम आपकी बात से सहमत हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मर्यादाएं कैसे खड़ी हुई? राज्यपाल महोदय का अभिभाषण न पढ़ने देने के पीछे की मर्यादा क्यों समाप्त हुई उसके पीछे भी आपको कुछ भावना समझ में आई सदस्यों की कि राज्यपाल महोदय द्वारा यह ज्ञापन दिया गया +++ उनका लिखा हुआ भाषण राज्यपाल महोदय आप न पढ़ें। बात तो इतनी सी है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मर्यादा को आप आसन से रखेंगे, सदस्य भी रखेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन की मर्यादा तो उसी दिन भंग हो गई थी जब 8 तारीख को....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राज्यपाल ने खुद फेंका है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या मेरी व्यवस्था सुनना नहीं चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी व्यवस्था सुनना चाहते हैं लेकिन आप पहले इस पर व्यवस्था दें। कान्स्टीट्यूशन तो उसी वक्त....

व्यवस्था

सदन में विधान सभा सचिवालय के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता

श्री अध्यक्ष : विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में विधान सभा में सवाल नहीं पूछा जा सकता यह भी मर्यादा है। वह बात चैम्बर में हो सकती है....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : +++ तब भी नहीं बोल सकते, युद्ध हो जाए तब भी नहीं बोल सकते यह कौनसी मर्यादा है? इस मर्यादा का पालन आप हम से करवाना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अगर ऐसी मर्यादा है तो उस मर्यादा में संशोधन

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद)

करना चाहिए। यह सचिवालय का सवाल थोड़े ही है यह तो अधिनियम का सवाल है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उत्तेजना के कारणों के अन्दर जाएं नहीं, आप फैसले दें नहीं...

श्री अध्यक्ष : मैं चुप बैठूं ?

श्री हरिदेव जोशी : चुप तो गणेश जी भी बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : मगर वह पूजनीय हैं जिनकी पूजा आप रोज करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सारी चीजें दुतरफा चलती हैं। आप अगर माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करेंगे तो सदस्य भी आपके अनुशासन का पालन करेंगे। मगर यदि यह स्थिति पैदा हो जाए कि वन वे ट्रेफिक होवे फिर आदमी का मन भर जाता है और वह जो नहीं होना चाहिए वैसा कर बैठता है इसलिए अगर केवल एक ही तरफ डंडा उठाकर के आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मर्यादा नहीं रहेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक बात कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं कि माननीय विश्नोई जी ने जो सवाल उठाया है इस सम्बन्ध में कलकत्ता हाई कोर्ट की व्यवस्था मैं पढ़कर सुना रहा हूं In West Bengal, the Governor failed to deliver his address to the Legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances and made up the failure by publication of the Address to the Members of the Legisiature by laying the Address on the table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be overemphasised, because by laying a copy of the Governor's Address on the Table, the object of the Address was substantially served and the Members would become aware of the contents of the Address. The Court further observed that unless there grows a constitutional convention, the Governor's Address shall be heard with attention, respect and ceremony due to the constitutional Head of the State there may be occasions when Members of the Legislature may indulge in loud shouting and unruly behaviour when the Governor comes to Address. If the shouting is loud enough or the behaviour sufficiently unruly, the Governor may not be able to

(श्री अध्यक्ष)

begin or to finish the Address due to human limitation and may have to think of other modes of publication of the Address. To hold that Legislature must not be deemed to have met when the Governor is unable to begin or to finish the Address under Article 176 and is compelled otherwise to publish the Address is to put a value on such disturbances which they do not deserve. हमारे हाउस की व्यवस्था भी है सन् 1963 में विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय द्वारा अशंतः पढ़े हुए अभिभाषण को भी पूरा पढ़ा हुआ माना जाएगा। उससे संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण की जो प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है वही अभिभाषण की प्रमाणित प्रति है। यह 4.3.1975 को यहां पर अध्यक्ष का फैसला हुआ है। इसी तरह से 3.3.1966 को भी है यदि, राज्यपाल महोदय अस्वस्थता के कारण या अन्य कारणों से अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सकें तो भी संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा।

इस आधार पर मैं इस पाइंट आफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं।....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अभिभाषण

श्री सचिव (विधान सभा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने एक ऐसा भाषण पढ़ा है जो +++ सरकार के द्वारा तैयार कराया गया है। कान्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स को नहीं एप्लाई करता है। आप क्या बात करते हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जहां भी+++आया, एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Bhairon Singh ji you are the leader of the+++

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्र) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 5) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज वर्मा।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

10

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, (1) राजस्थान सहकारी सोसायटी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 4)

(2) राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 1) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 3) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : परिशोधित पाठ। श्री शान्तिलाल चपलोत।

डॉ. हरिसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में।

डॉ हरिसिंह : इसी सम्बन्ध में है साहब।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

डा हरिसिंह : अध्यक्ष जी, मैंने आपको अभी एक रिजोल्यूशन दिया है। इस सदन की जो कार्यवाही हो रही है। इस सदन में कुछ सदस्य ऐसे बैठे हैं जो अण्डर रूल्स 303, 304, 305 के अण्डर में आते हैं। जब तक इस सदन का जो कान्स्टीट्यूशन है, मेम्बर्स है जब तक उस मामले में फैसला नहीं हो तब तक उसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और जो कार्यवाही हो रही है वह सारी इल्लीगल है, जो कार्यवाही हो रही है वह संवैधानिक नहीं है इसलिए इस सदन की कोई भी प्रोसीडिंग अंकित नहीं की जा सकती जब तक यह फैसला नहीं हो। the legitimate constitution of this House is there or not. I don't think that these present Members sitting here are sitting according to the.... (Interruption)....

इसलिए जो कुछ भी इस सदन में बोला जाये वह अंकित नहीं हो। इस सदन में मेम्बर्स ही बैठे हैं+++ अगर बैठे हैं तो आपने 303, 304, 305 के तहत कोई रूलिंग दी है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप इस दलबदल रिट याचिका पर फैसला दे दें तो सब कुछ साफ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया जब किसी दोषी के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलता है तो वह तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक साबित होकर अदालत फैसला नहीं दे दे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उनका पता क्यों नहीं चलाते हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : कोई आर्डर नहीं है। आई रिजेक्ट दी पाइन्ट आफ आर्डर। श्री शांतिलाल चपलोत।

डा. चन्द्रभान : जब तक हाउस चले तब तक सस्पेण्ड तो कर सकते हैं। जब तक हाउस चलता है तब तक जो 26 लोग हैं उनको सस्पेण्ड कर दीजिए।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत। परिशोधित पाठ।

श्री शांतिलाल चपलोत (विधि राज्य मंत्री) (राजस्थान राजभाषा) : राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनायें

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री जगमाल सिंह यादव (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें जिनके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए अनुबंधित बसें कर मुक्त की गई हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (13) परि/90 दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 दिनांक 16 अक्टूबर, 1990.

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (18) परि/90 दिनांक 13 दिसम्बर, 1990.

(3) अधिसूचना संख्या प. 5 (19) परि/90 दिनांक 10 जनवरी, 1991.
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 13 जुलाई, 1990 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिला बीकानेर की राजस्व तहसील बीकानेर के कतिपय गावों के क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण किया जायेगा।

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज./परि/81 दिनांक 13 जुलाई, 1990 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिला बीकानेर की राजस्व तहसील बीकानेर के कतिपय गांवों के क्षेत्रों का पहले से सर्वेक्षित क्षेत्र में अभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण किया जायेगा।

(3) अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 13 जुलाई, 1990 जिसके द्वारा बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर के कतिपय गांवों की क्षेत्रीय सीमाओं में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के उपबंध लागू किए गए हैं।

(4) अधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/5 दिनांक 1 सितम्बर, 1990 जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित

(श्री गंगाराम चौधरी)

जनजाति के सदस्य के रूप में जैसलमेर जिले के लिए आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या प. 4 (27) राज/उप/84 दिनांक 7 सितम्बर, 1990 जिसके द्वारा भूमि के हस्तान्तरण के मामले नियमित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि की गई है।

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (7) राज/उप/90 दिनांक 7 सितम्बर, 1990 जिसके द्वारा भूमि का कतिपय क्षेत्र, राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें, 1973 के उपबंधों के लिए गोडू मंडी जिला बीकानेर के कानूनी अधिकार में जोड़ा गया है।

(7) अधिसूचना संख्या प. 4 (4) राज / उप /86 दिनांक 20 सितम्बर, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र की मंडियों में भूमि का विक्रय और आवंटन) शर्तें 1973 में संशोधन किए गए हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जब तक हाउस चलता है इनको इजाजत मत दीजिए आप इनको सस्पेण्ड कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जिस पार्टी के हैं केन्द्र में दलबदलू की सरकार का विरोध करते हैं और यहां पर दलबदलू का साथ ले कर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : Bhairon Singh ji you are the leeder of the+ + +

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व अध्यक्ष, श्री भूपाल सिंह, सदस्य सातवीं विधान सभा, श्री छगनलाल गैणा, सदस्य, प्रथम विधान सभा के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने इस देश में जिस प्रकार की ख्याति प्राप्त की उसकी तुलना में मैं कह सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने और अधिक ख्याति प्राप्त की। रूस में भारत की राजदूत रह कर जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किये उससे रूस और भारत के बीच में जिस प्रकार के अटूट सम्बन्ध बने उसमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की जिस प्रकार की भूमिका रही है, यह देश उनको कभी भी नहीं भुला सकता। नगरपालिका की सदस्य और अध्यक्ष बन कर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बन गयी उससे व्यक्ति की प्रतिभा और उसके ज्ञान का, उसके अनुभव का और उसके बड़प्पन का अन्दाज लगाया जा सकता है। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया उस परिवार ने देश की बहुत सेवायें

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की। आजादी के युद्ध में, आजादी के संग्राम में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का जिस प्रकार का योगदान रहा वह केवल महिलाओं के नाते नहीं परन्तु देश में सदा जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है उनको हमेशा प्रेरणा मिली है और आज उन्हीं के इतिहास से हिन्दुस्तान की वह पीढ़ी जो बिल्कुल नई आजादी के बाद में आई है उससे भी उनको निश्चित रूप से भविष्य में प्रेरणा मिलती रहेगी। जिस प्रकार का सरल स्वभाव उनका रहा है।

मुझे प्रत्यक्ष में उनसे बहस करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने कई बार उनके भाषण सुने हैं। उनके भाषणों में जिस प्रकार की गम्भीरता मैंने देखी, बहुत कम नेता ऐसे होंगे जो अपनी पूरी बात बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त कर सके। उनकी, आज की जिस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियां हैं और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस प्रकार से बिगड़ रही हैं, उनमें यदि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जीवित रहती तो निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी विदेश नीति बनाने में कई प्रकार का योगदान होता। हमारे बीच से वे उठ गई, यह देश की बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं उनके प्रति अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही श्री भूपालसिंहजी, जो निम्बाहेड़ा से निर्वाचित हुए थे। भोपाल सिंह जी एम. एल. ए. इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं और उस समय के माननीय सदस्य जानते होंगे कि वो हर विषय पर अपनी कोई न कोई टिप्पणी ऐसी करते थे। उस टिप्पणी करने से मजाक हो ऐसी बात नहीं लेकिन जिस टिप्पणी के कारण से उस मामले में गंभीरता आए। वे अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को निधड़क उठाते थे। उनका भी अचानक देहावसान हुआ। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसी प्रकार से श्री छगनलाल जी गैणा विधान सभा के सदस्य रहे हैं। वे बड़े सरल स्वभाव के थे। वे अपने क्षेत्र का भली प्रकार से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि वह उन व्यक्तियों में थे जिनका न कोई दुश्मन हो सकता और न वे किसी से दुश्मनी मोल ले सकते थे और न कोई दूसरा आदमी उनसे दुश्मनी कर सकता। इस प्रकार के व्यक्ति हमारे बीच से उठ गये। मैं इन तीनों के प्रति अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का निधन इस देश के लिए ही नहीं बल्कि संसार के अनेक लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति के रूप में है। विद्वान, प्रतिभा सम्पन्न और साहसिक श्रीमती पंडित एक लम्बे अर्से तक भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रही। उन्होंने बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई समाप्त होने तक या आजादी प्राप्त होने तक निरन्तर संघर्ष किया। इस संघर्ष का परिणाम था कि वे उभर करके आयी और मैं ऐसा समझता हूं कि आज तक जितनी नारियां भारत में प्रसिद्ध हुई हैं उनमें श्रीमती पंडित का बहुत ही उच्च स्थान रहेगा। वे हमारी श्रद्धा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की पात्र थीं। हम सब उनको अपने से नजदीक समझते थे। उनके निधन से न केवल उनके परिवार को बल्कि देश के एक महान व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया।

अध्यक्ष महोदय, श्री भूपालसिंह जी और श्री छगनलाल जी गैणा इस सदन के सदस्य थे। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेते थे। अपनी कांस्टीट्यूएंसी में भी वे काफी माने जाते थे। उनकी क्षति भी कई प्रकार से सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों में से बड़ी क्षति है। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (नेता जनता दल): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित स्वतन्त्रता संग्राम की सेनानी थी और महिलाओं की अग्रिम पंक्ति में उस स्वतन्त्रता संग्राम को उन्होंने प्रेरित किया। अपने जीवन पर्यन्त वे स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के लिए समर्पित रहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षा के रूप में, राजदूत के रूप में उन्होंने जहां भारत का नाम रोशन किया, वहां हमें वो दिन भी याद है जब इस देश में ऐसी संकट की परिस्थितियां आयी थी तब भी उन्होंने बड़े साहस के साथ अपने से नजदीक से नजदीक लोगों के खिलाफ भी साफ तौर पर यह कहा कि देश की राजनीति में जिस तरह की गिरावट आ रही है उसे सहन नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं जब स्वतन्त्र अभिव्यक्ति पर अंकुश लगने लगा तो विजयलक्ष्मी जी ही थी जिन्होंने संसद से त्यागपत्र भी दिया और कहा कि ऐसी संसद में जहां घुटन हो, नहीं बैठ सकती। आज ऐसी स्वतन्त्र विचारक, स्वतन्त्रता संग्राम की योद्धा हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके प्रति अपने जनता दल की व अपनी ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूं।

श्री भूपालसिंह जी और श्री छगनलाल जी गैणा जिन्होंने इस सदन में रहकर इस प्रदेश की और अपने क्षेत्र की, समाज की सेवा की है। उनके लिए भी मैं हार्दिक श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (नेता, माकपा): अध्यक्ष महोदय, इस महान नारी के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वास्तव में वो हमारे देश की नारी जागृति का प्रतीक थी और उस समय में जब हम आजाद ही हुए थे, बहुत थोड़े समय में उनकी वजह से विदेशों में अपना बहुत बड़ा स्थान बना पाए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिस वक्त श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को रूस में राजदूत के तौर पर रखा गया तो उस समय हमारे देश का ऐसा काल था जिस समय हमने उस देश से अपने सम्बन्ध बनाए और हमारे वो नए सम्बन्ध उसके बाद आज तक बढ़ते ही गए। यह उन्हीं की देन थी कि वे इतने प्रतिष्ठा के पद पर पहुंच गई कि हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में वे सबसे पहली महिला थी जो उस संस्था की अध्यक्ष बनी। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो जिस परिवार में पैदा हुई उस परिवार ने संघर्ष जो किया उसमें जिस तरह की परिस्थितियां 1975 के बाद पैदा हुई और जिस तरह से एकाधिकारवाद

(श्री हेतराम बेनीवाल)

और अधिनायकवाद की ओर उनका परिवार के लोग बढ़ने लग गए, वहीं थी अपने परिवार में जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी के वक्त भी अपनी आवाज को बुलन्द रखा। मैं समझता हूं कि ऐसी महान विभूति का हमारे बीच से उठ जाना हमारे देश का बड़ा नुकसान है।

इसके साथ-साथ हमारी विधान सभा के 2 सदस्य भूपालसिंह जी और छगनलाल जी जो इस विधान सभा में प्रथम और सातवीं विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए इस विधान सभा में लोगों की आवाज को बुलन्द किया। मैं इनके प्रति अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं। विजयलक्ष्मी जी पण्डित के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वो राजदूत रहकर आपस में देशों का सामंजस्य बिठाया और जिस प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक ढंग से हमारे देश का दूसरे देशों के साथ समन्वय बैठाकर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। साथ ही उन्होंने एक बहुत उच्च पद प्राप्त करके संसार में अपने हिन्दुस्तान के लिए यह ऐसा उदाहरण रख दिया जो अमिट रहे और वह छाप हमेशा के लिए छोड़ गई। जिस समय उनका देहान्त हुआ उसके बाद में देश में एक इतने बड़े महान व्यक्तित्व का समापन हुआ है जो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। आज अगर इस समय हमारे देश में होती तो बहुत ही बड़ा उनका सहयोग ले करके दूसरे देशों में चाहे आज खाड़ी युद्ध हो, चाहे दूसरे देश हों उनके अन्दर बहुत ज्यादा सहयोग होता। एक महान पद प्राप्त करके संसार में जो उन्होंने ख्याति प्राप्त की, मैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह कहना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा जो घाटा देश को हुआ है, उसके साथ-साथ जो हमारे दो माननीय सदस्य श्री भूपालसिंह जी और छगनलाल जी गैणा, जिन्होंने अपने क्षेत्र की ही सेवा नहीं की बल्कि प्रदेश के भी विकास में और हर तरह से सामाजिक कार्यों में उन्होंने रुचि ली, उनके लिए मैं श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण....

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अयोध्या में कार सेवकों ने जो बलिदानी दी है राज्य के और राष्ट्र के....मैं निवेदन करता हूं और मैं प्रस्ताव रखता हूं कि उन कार सेवकों को भी यहां विधान सभा में श्रृद्धांजलि दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। प्लीज, बैठिये-बैठिये.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ... और साम्प्रदायिकता, क्या करोगे आप ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : जयपुर में और ब्यावर में जो निर्दोष लोग मारे गये उनको भी श्रृद्धांजलि देनी चाहिए....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : जो जयपुर में मारे गये उनको तो दीजिये ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : वो पवित्र कार्य में गये थे, वह भी एक साहसिक कार्य था....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अयोध्या में मर गये तो मर गये । राम को बदनाम करने में लगे हो ।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के समय... (व्यवधान)

प्लीज, आप जरा शोकाभिव्यक्ति के समय तो शांत रहिये । इस वक्त शांति रखिएगा ।

माननीय सदस्यगण, शोक एवं दुःख के माहौल में डूबे हुए इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने प्रसिद्ध राजनयिक श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भूपालसिंह एवं श्री छगनलाल गैणा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं ।

भारतीय राजनीति के आकाश पर करीब छह दशक तक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति छाई रही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त, 1900 को इलाहाबाद में हुआ । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई । बाद में उन्होंने इंगलैण्ड में भी शिक्षा प्राप्त की । इनका विवाह बैरिस्टर और संस्कृत विद्वान श्री रणजीत सीताराम पंडित से हुआ । बहु आयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी श्रीमती पंडित 1935 में इलाहाबाद नगर पालिका की सदस्य और शिक्षा समिति की अध्यक्ष बनी । सन् 1937 से 1939 तक और 1946–47 में वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य और स्थानीय सरकार में मंत्री पद पर रही । 1952 में श्रीमती पंडित कानपुर से और 1964 तथा 1967 में फूलपुर से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुई ।

श्रीमती पंडित के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की शुरूआत 1944 में हुई जब उन्होंने अमेरिका में प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत के गैर सरकारी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया । श्रीमती पंडित पहली महिला थी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी । इससे पूर्व वे 1947 से 1949 तक सोवियत संघ में तथा 1949 से 1951 तक अमेरिका और मैक्सिको में भारत की राजदूत रही । वे आयरलैंड और स्पेन में भी भारतीय राजदूत तथा लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त रही । 1963 में वे एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की नेता बनी । 1962-64 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया ।

श्रीमती पंडित शुरू से ही स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़ी रही । आजादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उन्हें 1932, 1941 और 1942 में कारावास भुगतना पड़ा । श्रीमती पंडित ने मानवाधिकारों और भारतीय महिलाओं के उत्थान के

(श्री अध्यक्ष)

लिए विभिन्न स्तरों पर काम किया। 1940 से 1942 तक वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष तथा शान्ति और स्वतन्त्रता के लिए गठित अन्तर्राष्ट्रीय महिला लीग की उपाध्यक्ष रहीं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली श्रीमती पंडित को 1962 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 25 नवम्बर, 1955 को लन्दन में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें "डॉक्टर ऑफ लॉ" की मानद उपाधि से अलंकृत किया। उनके अपने शहर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा अमेरिका के सात विश्व-विद्यालयों ने भी श्रीमती पंडित को "डॉक्टरेट" की उपाधियों से सम्मानित किया। श्रीमती पंडित 1970 में सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर अपने देहरादून स्थित निवास में ही रहीं और वहीं दिसम्बर 1990 की सुबह उनका निधन हो गया।

श्री भूपालसिंह का जन्म चैत्र कृष्ण दशमी संवत 1979 को हुआ। आपकी शिक्षा भूपाल नोबल्स स्कूल, उदयपुर में हुई। आप सातवीं विधान सभा के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप 1980–81 एवं 1982–83 में गृह समिति के सदस्य तथा 1983-84 में विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। अपने क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं के समाधान हेतु आप सतत् प्रयत्नशील रहे। कृषि एवं क्रिकेट में आपकी विशेष रुचि रही। आपका निधन 18 नवम्बर, 1990 को हुआ।

अजमेर जिले के किसान नेता श्री छगन लाल गैणा अजमेर राज्य विधान सभा के सदस्य थे तथा नवम्बर, 1956 में तत्कालीन अजमेर राज्य के राजस्थान में विलीन हो जाने पर वे प्रथम राजस्थान विधान सभा के भी सदस्य रहे। श्री गैणा विधान सभा में कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक रहे। आप राजस्थान किसान सभा के मंत्री भी रहे। पत्रकारिता से जुड़े रहकर आपने किसान गजट, किसान केसरी तथा किसान सेवक आदि समाचार पत्रों का सम्पादन किया। 1939 से 1959 तक आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य तथा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष रहे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री गैणा पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे। 75 वर्षीय श्री गैणा का निधन 4 फरवरी, 1991 को उनके निवास ग्राम तबीजी में हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से एवं इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनके विछोह को सहन करने की शक्ति दे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन)

सदन की कार्यवाही दिनांक 25 फरवरी, 1991 सोमवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 12.38 बजे, सोमवार, दिनांक 25-2-1991 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट

महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय का अभिभाषण

माननीय सदस्य गण,

नवम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

राजस्थान का अपना गौरवशाली अतीत रहा है और इसका उज्ज्वल भविष्य भी है। यद्यपि प्रदेश के विकास की राह में भौगोलिक विषमताओं, पानी की कमी, वित्तीय साधनों की कमी, व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या की तेज गति से हो रही वृद्धि आदि कठिनाइयां हमारे समक्ष हैं लेकिन फिर भी मुझे संतोष है कि सरकार, जनप्रतिनिधियों एवं जनता के आपसी सहयोग एवं तालमेल से हम सही दिशा में विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश में स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन देने की रही है और इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है। 50 वर्ष की उम्र की आयु से अधिक या 25 वर्ष से अधिक सेवा अवधि के संदिग्ध निष्ठा रखने वाले तथा अक्षम अधिकारियों की राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है। 129 अधिकारियों को दण्डित किया गया है। मार्च, 1990 से जनवरी, 1991 तक की अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 167 अपराध के मामले दर्ज किये गये। जिनमें से 67 मामले रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर में एक करोड़ रुपये से भी अधिक के भुगतान तथा सीखो कमाओ योजना के मामलों में 47 लाख रुपये व सम्पदा बरामद की गई। इससे राज्य कार्य में ईमानदारी का वातावरण बना है तथा सरकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों के प्रति जनमानस में विशेष उत्साह जगा है। संवेदनशील प्रशासन के लिए जिला सतर्कता समितियों को प्रभावी बनाया गया है। राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा उनके सेवा सम्बन्धी परिवादों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयत्न किये गये हैं।

सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव व शांति बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है। वर्ष 1990 में साम्प्रदायिक तनाव एवं आरक्षण सम्बन्धी आन्दोलन के कारण देश भर का वातावरण उद्वेलित रहा जिसका प्रभाव इस राज्य पर भी पड़ा। प्रदेश में माह अक्टूबर में जयपुर, जोधपुर, ब्यावर एवं चौमू में कुछ गम्भीर साम्प्रदायिक घटनायें हुईं, स्थिति को तत्परता से नियंत्रित किया गया। दंगापीड़ित लोगों को राज्य सरकार ने तत्काल राहत उपलब्ध करवाये जाने के निर्णय लिये। इन दंगों में मृतक एवं स्थाई रूप से विकलांग व्यक्तियों के परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दंगों में मरने वाले, गम्भीर चोटों के कारण हुए विकलांग तथा गम्भीर चोट लगने वाले लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई। इसी प्रकार इन दंगों में बेघरबार हुए लोगों को परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर एक माह का अनाज, दालें, खाने का तेल, केरोसिन, बर्तन एवं पहनने व ओढ़ने के कपड़े भी दिये गये। राज्य सरकार का सतत् प्रयत्न रहेगा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से पारस्परिक सद्भाव और सुदृढ़ हो।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अधिक निगरानी रखते हुए सीमा पार से आने वाले तस्करों व आतंककारियों से तस्करी के माल व हथियारों को पकड़ने में भी राज्य सरकार सतर्क रही है।

वर्तमान विधान सभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए मैंने राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख किया था और प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में आपके विचारार्थ श्वेत पत्र प्रस्तुत करने की बात कही थी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि प्रदेश के अब तक हुए आर्थिक विकास एवं विकास की समस्याओं एवं सम्भावनाओं के बारे में एक श्वेत पत्र चालू सत्र में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सदन में हुए विचार-विमर्श के आधार पर सरकार प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अपनी नीतियों में आवश्यक संशोधन करेगी।

राज्य के विकास में प्रमुख बाधा आर्थिक संसाधनों की कमी की है। सरकार ने फिजूल खर्ची में मितव्ययता करके तथा अतिरिक्त साधन जुटाकर राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। कुशल वित्तीय प्रबन्ध के कारण प्रदेश में योजनागत विनियोग को बढ़ाया जाना सम्भव हो सका है। 1989–90 में प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार 795 करोड़ रुपये था। वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद 1990-91 की योजना का आकार पिछले वर्ष की योजना से 20.3 प्रतिशत बढ़ाकर 956 करोड़ किया गया और अगले वर्ष के लिये योजना आयोग ने 1166 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकार की है। इस प्रकार 2 वर्षों में ही राज्य की वार्षिक योजना के आकार में 46 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

राजस्थान में इस वर्ष वर्षा की स्थिति अच्छी रही। 58 सेन्टीमीटर औसत वर्षा की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में 71 सेन्टीमीटर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप 176 लाख हैक्टेयर बुआई के लक्ष्य के स्थान पर 191 लाख हैक्टेयर भूमि में बुआई हुई। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष प्रदेश में 108 लाख टन खाद्यान्न व 24 लाख 80 हजार टन तिलहन की कीर्तिमान उत्पादन होने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष 85 लाख टन खाद्यान्न व 18 लाख 45 हजार टन तिलहन का उत्पादन ही हुआ था।

प्रदेश में कृषि की प्रमुख आवश्यकता उत्पादन को स्थायित्व देने की है ताकि अच्छे वर्षों में अधिक उत्पादन हो सके और अकाल के वर्षों में उत्पादन में अधिक गिरावट न आये। अतः प्रदेश में उपलब्ध पानी का कुशलतम् उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके लिये एक ओर जहां

कम पानी से उत्पन्न होने वाली फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है वहीं दूसरी ओर नाली निर्माण, फव्वारा सिंचाई पद्धति, सामुदायिक ट्यूबवैल आदि नये कार्यक्रमों के द्वारा भू-जल के समुचित दोहन एवं उसके कुशल उपयोग के लिये किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। तालाबों तथा नहरों के निर्माण तथा नवीनीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे लिये पानी की हर बूंद कीमती है। बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से पानी की काफी बचत होती है। अतः इसके विस्तार के लिये एक विशेष योजना भारत सरकार के सहयोग से अगले वर्ष चलाई जायेगी। मुझे आशा है कि सिंचाई की यह पद्धति प्रदेश के लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

चूंकि राज्य के अधिकांश भू-भाग में वर्षा के पानी से ही फसली खेती होती है अतः यह आवश्यक है कि वर्षा के पानी को खेत में ही रोककर उससे उत्पन्न नमी से फसलों का अधिक उत्पादन किया जाये। असिंचित क्षेत्र में रहने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिये सरकार ने एक ओर जहां विश्व बैंक से 74 करोड़ रुपये की एकीकृत जल संग्रहण विकास योजना जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों के लिये स्वीकृत कराई है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लगभग 190 विकास खण्डों में राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना का विस्तार किया गया है। इस कार्यक्रम पर आठवीं योजना में 136 करोड़ रुपये खर्च किये गये जायेंगे। एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना, मरुस्थल विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास एवं कंदरा विकास परियोजना के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ रुपये अगले 5 वर्षों में असिंचित क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण पर खर्च किये जायेंगे। राजस्थान के निर्माण से अब तक इतना विनियोग व्यय इन कार्यों पर पूर्व में कभी नहीं हुआ था। इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये राज्य सरकार ने हाल ही में अलग से जल ग्रहण क्षेत्र विकास निदेशालय की स्थापना की है। आशा है इससे प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में खेती करने वाले किसान विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।

प्रदेश में कृषि विकास को और अधिक गति देने के लिये सरकार ने 470 करोड़ रुपये की समग्र कृषि विकास योजना विश्व बैंक को भेजी है। इस योजना के बारे में दो बार विश्व बैंक के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। मुझे आशा है कि इस योजना की स्वीकृति अगले वर्ष में हो सकेगी।

तिलहन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बन गया है। जहां 1952-53 में प्रदेश में 1 लाख 34 हजार टन तिलहन का उत्पादन हुआ था वहीं चालू वर्ष में लगभग 24 लाख 80 हजार टन तिलहन का उत्पादन होने की संभावना है। तिलहन उत्पादन वृद्धि में सरसों एवं सोयाबीन का विशेष योगदान रहा है। सोयाबीन के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए सरकार ने सोयाबीन विकास का एक विशेष कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में खाद्य तेल उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से इस वर्ष

सहकारी क्षेत्र में राज्यस्तरीय "तिलम संघ" की स्थापना की है। अगले दो वर्षों में इस संघ का कारोबार लगभग 250 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इससे तिलहन पैदा करने वाले किसानों को विशेष लाभ मिलेगा तथा राज्य के उपभोक्ताओं को भी प्रदेश में ही उत्पादित खाद्य तेल आसानी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा।

राज्य में भूजल का वर्तमान आंकलन 1987 में हुई वर्षा पर आधारित है। राज्य में अच्छी वर्षा होने के कारण भूजल का सामान्य स्तर बढ़ गया है। अत: प्रदेश में उपलब्ध भूजल का पुन: आंकलन कराया गया है। इस आँकलन की रिपोर्ट अगले दो-तीन महीनों में प्राप्त हो जायेगी। इससे कुछ क्षेत्रों में पानी के बने "डार्क जोन" के हटने की सम्भावना है। राज्य में इस समय लगभग 8.50 लाख सिंचाई के कुए हैं जबकि भूजल के विद्यमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 16 लाख कुएं राज्य में बन सकते हैं। चूंकि सिंचित क्षेत्र की वृद्धि में कुओं का विशेष महत्व है अत: राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख सिंचाई के कुएं खुदवाने की एक योजना पर विचार कर रही है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होगी।

किसानों को पुराने कर्जों में राहत देने के लिये राज्य सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना की घोषणा जुलाई, 1990 में की थी। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 9 लाख 72 हजार किसान परिवारों को 241 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है। पिछले वर्षों में अकाल व ऋण वसूली में कमी होने के कारण कृषि साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। कृषि विभाग के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में कृषि साख की वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाय। इस समय अधिकांश केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे अपने खर्चे भी वहन कर सकें। अत: इनमें संगठनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है।

कृषि की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य की "कृषि नीति" का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। इस नीति में दलहन व तिलहन विकास, जल विकास, भूमि एवं जल संरक्षण, फल विकास, कृषि वानिकी, ऊसर भूमि सुधार, कृषि विपणन, चारा उत्पादन आदि पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

पूर्व में सहकारी समितियों के संचालक मण्डल जनादेश की अवधि समाप्ति के बाद भी नये चुनाव के बिना कार्यरत रहते थे। इससे सहकारी आंदोलन में शिथिलता आ गई थी। सरकार ने कानून में संशोधन कर अब यह व्यवस्था की है कि यदि चुनाव अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी सहकारी समिति का चुनाव नहीं हो सके तो वहां अगले चुनाव तक या एक वर्ष के लिये, जो भी पहले हो, प्रशासक लगा दिये जायें। प्रशासक के कार्यकाल की एक वर्ष की अधिकतम सीमा रखने के कारण अब

समितियों के चुनाव स्थगित नहीं किये जा सकेंगे। राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप ग्रामसेवा सहकारी समितियों के चुनाव करा दिये हैं और इसके बाद अब खण्डस्तरीय, जिलास्तरीय व राज्यस्तरीय संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे।

पिछले वर्षों में राजस्थान में वनों का व्यापक ह्रास हुआ है। सरकार द्वारा वनों के पुनरुत्थान के लिये किये गये प्रयासों को वांछित सफलता नहीं मिल पाई है। वनों का विकास स्थानीय जनता के सहयोग से ही किया जा सकता है। विरोध के वातावरण में वनों का विकास नहीं हो सकता। इसलिये सरकार ने वन भूमि पर स्थानीय लोगों व संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इस नीति के आधार पर वन भूमि पर लगाये गये वृक्षों के विदोहन से जो आय प्राप्त होगी उसका एक निर्धारित अंश वृक्षारोपण करने वाले तथा वृक्षों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को दिया जायेगा। ऐसी वन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में ही निहित रहेगा। स्थानीय स्तर पर "ग्राम्य वन विकास एवं सुरक्षा समिति" गठित करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है। इनके सहयोग से गांव में उपलब्ध गोचर, पड़त तथा वन भूमि में वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा। जन सहयोग से विकसित किये गये वन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास तथा लघु वन उपज स्थानीय जनता को निःशुल्क दी जायेगी। पारस्परिक सहयोग एवं समता के आधार पर वन विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयत्न किया जायेगा।

राजस्व विभाग ने कई क्षेत्रों में विशेष कर जनजाति व परिगणित जनजाति क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसी कुछ पड़त राजकीय भूमियों को किसानों को खेती के लिए आवंटित कर दिया जो राजस्व रेकार्ड में तो बिलानाम सरकार थी लेकिन वन विभाग के रेकार्ड में इसे वन भूमि दर्ज किया गया था। ऐसी भूमियों से उन किसानों को हटाना जो राजकीय पट्टा लेकर काबिज हुए बैठे हैं सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि वन विभाग द्वारा उनके विरुद्ध चलाये गये मामले समाप्त कर दिये जायेंगे और ऐसी भूमि को राजस्व भूमि ही रखा जायेगा बशर्ते कि ऐसी भूमि सघन वृक्ष आच्छादित वन क्षेत्र में न हो।

वृक्षों पर हमारा जीवन आधारित है। वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई से हमारे सामने ईंधन, पानी, दूषित वायु आदि की कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रदेश को हरा-भरा किया जाय। सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिकों, व्यावसायिक संगठनों एवं सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों के सहयोग से राज्य में "हरा-भराराजस्थान" नाम से एक कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र को इस वर्ष हरा-भरा किया जायेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए जापान सरकार से 107 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना स्वीकृत करायी गई है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में वन लगाने के लिये 150 करोड़ रुपये की एक योजना भी बनाई गई है। आशा है कि इस योजना के लिये भी

जापान सरकार से अगले वर्ष में वित्तीय सहयोग प्राप्त हो जायेगा ।

राजस्थान अपने पशुधन के लिए विख्यात है । पशु नस्ल सुधार के लिए समुदाय पर आधारित गोपाल योजना लागू की गई है जिसमें स्थानीय व्यक्तियों का चयन कर उन्हें कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया है व आवश्यक साधन उपलब्ध कराये गये हैं । इसी प्रकार जयपुर व बीकानेर संभागों में एकीकृत पशु विकास योजना लागू की गई है । कृत्रिम गर्भाधान से संकर नस्ल के बछड़ों के प्रजनन के लक्ष्य को दुगना बढ़ाकर 3 लाख 80 हजार कर दिया गया है ।

प्रदेश में दुग्ध विकास का काम सहकारी क्षेत्र में किया जा रहा है । सरकार ने दुग्ध सहकारी समितियों तथा जिला दुग्ध उत्पादक संघों के चुनाव करा दिये हैं ताकि सहकारी क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सके । महिलायें हमारे कार्यरत श्रमिकों का महत्वपूर्ण अंग हैं । दुग्ध विकास कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से साढ़े चार करोड़ रुपये की एक महती योजना राजस्थान सहकारी दुग्ध विकास संघ द्वारा शुरू की जा रही है ।

मत्स्य पालन को गति देने के लिये मत्स्य आखेट के ठेके के नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि लम्बी अवधि के लिये ठेके दिये जा सकें । मत्स्य विकास के लिये विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से परियोजनायें हाथ में ली जा रही हैं । भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु भी सरकार ने विशेष कार्यक्रम लागू किया है तथा भारत सरकार से अनुरोध कर विदेशों से आयातित कालीन ऊन पर आयात शुल्क बढ़वाकर प्रदेश के भेड़पालकों के हितों की रक्षा की है ।

वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र में की गई घोषणा के अनुसार सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम को प्रदेश में पुनः लागू किया है । इस कार्यक्रम में गरीब व्यक्तियों का ही चयन हो, इस दृष्टि से चयन की नई प्राथमिकताएं तय की गई हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 तक की आबादी वाले गांवों में 5 गरीब परिवारों, 501 से 1000 तक की आबादी वाले गांवों में 7 परिवारों, 1001 से 2000 तक की आबादी वाले गांवों में 10 परिवारों व 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 15 परिवारों का चयन किया गया है । अन्त्योदयी परिवारों को सभी विभागों द्वारा अपने क्रियाकलापों का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है ।

स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यापक बनाया गया है । इसमें कृषि, पशुपालन तथा अन्य प्रवृतियों को भी शामिल किया गया है । इसके फलस्वरूप गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवा व्यक्ति प्रशिक्षित होकर आसानी से अपने वर्तमान व्यवसाय में भी अपनी आय बढ़ा सकेंगे ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्षों के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधूरे

कार्यों को भी प्राथमिकता से लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 4317 शाला भवनों के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त जोत वाले चयनित गरीब परिवारों के लिये शत-प्रतिशत राजकीय अनुदान से सिंचाई के 35000 कुएं खोदने की स्वीकृति भी दी गई है। इंदिरा आवास योजना में 20 हजार मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास की योजनाओं में आवश्यक लचीलापन लाया गया है ताकि लाभांवित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार विकेन्द्रित रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके।

जवाहर रोजगार योजना में कार्यों को सम्पादन करने की प्रणाली काफी कठिन थी और इससे पंचायतराज संस्थाओं के सामने काफी कठिनाइयां आती थी। उनकी सुविधा के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक सुधार किये गये हैं। इसकी जानकारी सबको देने के लिये ग्रामीण कार्य निर्देशिका भी प्रकाशित की गई है। पंचायत संस्थाओं के कार्य स्वीकृति के अधिकार भी बढ़ाये गये हैं ताकि विकेन्द्रित रूप से वे अपने क्षेत्र का तेजी से विकास कर सकें।

मरु विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कंदरा सुधार योजना तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये कृषि उत्पादन के वृहत कार्यक्रम की भी चालू वर्ष में क्रियान्विति की गई है। इसी प्रकार जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के माध्यम से छोटी जोत के किसानों को विशेषकर अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ पहुंचाया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनता के सहयोग से सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण हो तथा लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इस दृष्टि से सरकार ने स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर आधारित "अपना गांव-अपना काम" नाम से एक नई योजना इस वर्ष लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत राशि स्थानीय समुदाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा शेष 70 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का चयन स्थानीय जनता द्वारा ही किया जायेगा। इस कार्य में प्रवासी राजस्थानियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं आदि का भी सहयोग लिया जायेगा। यह योजना सामुदायिक स्वावलम्बन की भावना पर आधारित है। पिछले 2 महीनों की अवधि में इस योजना की क्रियान्विति से गांवों में आशातीत उत्साह जगा है और वे अपने योगदान से गांव की सामुदायिक आवश्यकताएं पूरी करने में लगे हैं।

बिजली के उत्पादन व खपत में असंतुलन के कारण राज्य में सभी वर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के गहराते विद्युत संकट का एकमात्र हल विद्युत उत्पादन बढ़ाने में ही है। जैसा कि मैंने वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र में कहा था, प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं होने के कारण सूरतगढ़, बरसिंहसर आदि की विद्युत परियोजनाएं भारत सरकार में

कई वर्षों से अटकी पड़ी थी। माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के कारण केन्द्रीय सरकार ने 756 करोड़ रुपये की बरसिंहसर लिग्नाइट परियोजना की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का निर्माण नाइवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा। सूरतगढ़ ताप परियोजना की स्वीकृति भी केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 1084 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धौलपुर, अन्ता गैस विद्युत् परियोजना विस्तार व अन्य विद्युत् परियोजनाओं को भारत सरकार से स्वीकृत कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। बिजली की वर्तमान कमी को 112 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली अंतर्राज्यीय योजनाओं व केन्द्रीय विद्युत् परियोजनाओं से क्रय करके पूरा किया गया है। विद्युत् मण्डल की व्यवस्थाओं में भी व्यापक सुधार किया गया है। 25000 कुओं के विद्युतीकरण के लक्ष्य को समय से पूर्व पूरा कर लिया गया है। विद्युत् उत्पादन में निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा।

आर्थिक विकास के लिए प्रदेश का तेजी से औद्योगिक विकास किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक विकास से सेवा क्षेत्र में भी नियोजन के विशेष अवसर प्राप्त होते हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अभी हाल में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध खनिज, कृषि एवं अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग, नियोजन विस्तार, उद्यमिता विकास व सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के ध्येय से ही औद्योगिक विकास की प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसके लिए एक ओर संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा वहीं दूसरी ओर बिक्रीकर में रियायत, पूंजी विनियोजन, अनुदान, ऋण सुविधा, मंडी फीस व चुंगी कर में छूट आदि वित्तीय सुविधाएं देकर उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास, डिजाइन सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीयों द्वारा विनियोजन आदि पर भी जोर दिया जायेगा। इस नीति की उद्यमियों ने तथा उनके व्यावसायिक संगठनों ने सराहना की है।

राजस्थानी मूल के तकनीकी ज्ञान व वित्तीय प्रबंध के विशेषज्ञ देश के विभिन्न प्रदेशों में अन्य व्यक्तियों के लिये उद्योग चला रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि वे स्वयं अपने श्रम से अपना उद्योग प्रदेश में लगायें। यद्यपि इन्हें औद्योगिक उत्पादन, विपणन आदि का पर्याप्त अनुभव होता है पर पूंजी के अभाव में ये लोग अपने स्वयं का उद्योग नहीं लगा पाते। इन्हें आवश्यकतानुसार सहायता देकर राज्य में अपना स्वयं का उद्योग लगाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। विकेन्द्रित औद्योगिक विकास के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिक सुविधा देकर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायं ताकि उद्यमी वहां विशेष रूप से आकर्षित हों। इस उद्देश्य से राज्य में 5 औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। अधिक औद्योगिक विकास की सम्भावना वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अभिकरण

स्थापित करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है। उद्यमियों को सहायता देने के लिये अलग से एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण कराने का प्रयास करेगा।

राजस्थान की गिनती खनिज प्रमुख प्रदेशों में की जाती है। सर्वेक्षण के फलस्वरूप जैसलमेर में स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन तथा नागौर जिले में लिग्नाइट के अतिरिक्त भण्डार का पता चला है। लिग्नाइट कोयले के उत्खनन कर उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिये उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि घरेलू, व्यावसायिक ईंधन, ईंट, चूने के भट्टे आदि के लिये इसका उपयोग हो सके। पाली जिले में नाडोल व देसूरी क्षेत्र में ग्रेनाइट तथा जोधपुर जिले के खादर गांव के निकट ब्लेक डोलेराइट चट्टानों की खोज भी की गई है। इस वर्ष एक ओर जहां बिजोलिया, बून्दी व करौली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने का विशेष अभियान चलाया गया वहीं दूसरी ओर खनन पट्टों के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया। विभागीय चैक पोस्ट के स्थान पर खनन फीस वसूली को ठेके पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। झामरकोटड़ा एकीकृत रॉक फॉस्फेट परियोजना की क्रियान्विति भी प्रगति पर है। आशा है सितम्बर, 1991 तक यह परियोजना पूर्ण हो जायेगी। जैसलमेर के स्टील ग्रेड लाइम स्टोन को निकालने तथा जिप्सम के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी राज्य खनिज विकास निगम विशेष प्रयास कर रहा है। खनिज विकास नीति तैयार करने का भी निर्णय सरकार ने लिया है।

नगरीय विकास एवं प्रबन्ध सम्बन्धी मुद्दों पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही स्थानीय स्तर पर निर्णय करें, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने 147 नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में 8 वर्ष बाद इस वर्ष चुनाव कराये। न्यायिक कठिनाइयों के कारण शेष नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में चुनाव नहीं हो पाये। राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि अगले कुछ महीनों में इन कठिनाइयों का समाधान करवाकर शेष संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायें। शहरों में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नेहरू रोजगार योजना की क्रियान्विति की गई है। चालू वर्ष में इस योजना पर 18 करोड़ रुपये खर्च किये जाने प्रस्तावित हैं। इसके द्वारा 13000 लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा व 19 लाख 20 हजार मानव दिवस सृजित होंगे। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमजोर वर्गों को आवास हेतु सहायता दी जायेगी। इस योजना के माध्यम से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में सामुदायिक सुविधाओं का प्रभावी विकास हो सकेगा।

आवासन के कार्य को गति देने के लिये सरकार एपार्टमेन्ट के विक्रय के लिये कानून बनाने, किराया नियन्त्रण कानून में संशोधन करने, शहरों में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण के कार्य को नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को देने आदि के प्रश्नों पर विचार कर रही है।

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का देश में अपना विशिष्ट स्थान है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व जैसलमेर देश के पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से उभरे हैं। पर्यटन के दीर्घकालीन विकास के लिये राज्य सरकार ने एक पर्यटन नीति का मसविदा तैयार किया है। पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों से विचार-विमर्श कर इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा। जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर के मरु त्रिकोण विकास के लिये एक विशेष परियोजना बनाई जा रही है। भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं से विशेष सहायता प्राप्त कर इस परियोजना की क्रियान्विति की जायेगी। सरकार द्वारा संयुक्त क्षेत्र में होटल लगाने की नीति पर भी विचार किया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्र की व्यावसायिक कुशलता का लाभ होटल उद्योग के विकास हेतु मिल सके।

साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान देश के सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में से एक है। इस वर्ष नवाचार के रूप में अजमेर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। वहां स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों, राजकीय विभागों व केन्द्रीय सरकार के विभागों यहां तक कि सेना के जवानों का भी सहयोग लेकर घर-घर में साक्षरता का शंखनाद किया गया है। अब तक के प्रयासों से उत्साहित होकर सरकार अगले वर्ष 3 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू करेगी। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक व संगठनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाया जाना आवश्यक है ताकि शिक्षा रोजगार का सक्षम साधन बन सके। व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने विश्व बैंक से 45 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत कराई है जिसकी क्रियान्विति चालू वर्ष से प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से राज्य में अगले वर्ष "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम लागू किया जायेगा। यह कार्यक्रम जनता की भागीदारी पर विशेष रूप से आधारित होगा ताकि शिक्षा प्रसार में व्यापक जनसहयोग मिल सके।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी राजस्थान की गिनती पिछड़े प्रदेशों में होती है। राज्य सरकार का प्रयास है कि एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाय वहीं दूसरी ओर इसमें गुणात्मक सुधार भी किया जाये। जिन छोटे गांवों में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक औषधालयों की दोहरी व्यवस्था है वहां स्थानीय जनता से प्राप्त विकल्प के आधार पर अतिरेक चिकित्सालय को उसी विधान सभा क्षेत्र में अन्य स्थान पर बदल दिया जायेगा ताकि विद्यमान साधनों का समुचित उपयोग हो सके। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये सरकार ने संगठनात्मक परिवर्तन कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अलग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगाये हैं और इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपखण्ड स्तर पर भेजने का प्रस्ताव है।

मोतियाबिन्द के कारण कई लोग अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। अंधापन निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने

प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नेत्र शल्य क्रिया शिविर लगाने का निर्णय लिया है। चूंकि अंधेपन की समस्या बहुत व्यापक है अतः सरकार इसके लिए नेत्र ज्योति नाम से एक विशेष कार्यक्रम चलायेगी जिसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी चिकित्सकों, प्रवासी राजस्थानियों व अन्य संगठनों का सहयोग लिया जायेगा।

आयुर्वेद सहित सभी देशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु विशेष प्रयास आवश्यक हैं ताकि ये चिकित्सा पद्धतियां भी अपना सम्मानजनक स्थान बना सकें। इस बात से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पेयजल की समस्या हल करने पर राज्य सरकार ने प्रारम्भ से ही ध्यान दिया है जिसके फलस्वरूप इस वर्ष के अन्त तक सारे प्रदेश में केवल 1000 गांव ही ऐसे रह जायेंगे जिनमें हैण्डपम्प, परम्परागत पेयजल प्रणाली, क्षेत्रीय पेयजल योजनाएं आदि किसी भी माध्यम से पानी नहीं पहुंचा हो। इनमें से अधिकतर गांव चूरू व गंगानगर के हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि शेष रहे सभी गांवों में अगले दो वर्षों में पानी उपलब्ध करा दिया जाये। लगभग सभी गांवों में पानी पहुंचाने के बावजूद भी प्रदेश में पेयजल की स्थिति सतोषजनक नहीं कही जा सकती। पेयजल की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है। अन्तिम छोर पर आने वाले गांवों में पूरा पानी नहीं पहुंचता है। इसी प्रकार कई गांवों में खारे पानी या फ्लोराइड युक्त पानी लोगों को विकल्प के अभाव में पीना पड़ता है। ढाणी और मजरे में रहने वाले लोगों की पानी की अपनी समस्याएं हैं। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए खुशी है कि ढाणी और मजरों को त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित करने का प्रस्ताव सिद्धांततः अब भारत सरकार ने मान लिया है। गंगानगर, झुंझुनूं व चूरू जिलों के खारे पानी के 353 समस्याग्रस्त गांवों की पेयजल योजनाओं के लिए जर्मन सरकार से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेयजल योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने के प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजे गये हैं।

प्रदेश में सड़कों की कमी है। चालू वर्ष में राज्य योजना के अन्तर्गत 38 करोड़ रुपये का प्रावधान सड़कों तथा पुलियाओं के निर्माण के लिए किया गया है। इससे लगभग 1000 किलोमीटर लम्बी सड़कें इस वर्ष बन सकेंगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष लगभग 14 करोड़ रुपये कृषि मंडियों द्वारा सड़कों के निर्माण पर व्यय किए जा रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भी लगभग 5 करोड़ रुपये का व्यय सड़कों के निर्माण पर किया जायेगा। राज्य सरकार ने 1000 जनसंख्या की आबादी वाले गावों को सड़कों से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से साधन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी और साधनों की उपलब्धि के अनुसार इसकी क्रियान्विति की जायेगी। टोलटेक्स प्रणाली के आधार पर सड़क व पुलों के निर्माण हेतु उद्यमियों को प्रेरित किया जायेगा

ताकि अधिक साधन लगाकर तेजी से सड़कों व पुलों का निर्माण किया जा सके।

देश के विभिन्न स्थानों पर हुई अशांति तथा खाड़ी युद्ध से उत्पन्न आशंका के वातावरण के कारण पिछले कुछ समय में मूल्यों पर दबाव बढ़ा है। डीजल तथा पेट्रोल की उपलब्धि के असंतुलन से उत्पन्न परिवहन व्यवस्था में आई रुकावट का भी योगदान मूल्य बढ़ाने में रहा है। राज्य सरकार ने जहां एक ओर मूल्य नियन्त्रण तथा मुनाफाखोरी रोकने के लिए चैकिंग की व्यवस्था की है वहीं व्यापारियों की स्टॉक सीमा में भी कमी की है ताकि संग्रहण की भावना न बढ़े। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जनता को गेहूं, तेल, चीनी, चाय आदि उचित मूल्य पर वितरित करने का प्रबन्ध भी किया गया है। इसके लिए 2 करोड़ रुपये की राशि उपभोक्ता संघ को दी गई है ताकि संघ आसानी से आवश्यक वस्तुएं खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सके। उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु 23 जिलों में उपभोक्ता मंचों का गठन किया गया है ताकि उनकी शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निवारण हो सके।

सरकार इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी :—

1. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991

2. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1991

3. राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1991

4. राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, 1991

5. राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1991

6 राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991

7. राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

8. दण्ड प्रक्रिया (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991

9. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

10. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991

11. भूमि एवं भवन कर (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991

12. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991

13. राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1991

14. राजस्थान विलासों पर कर (होटलों व वासों में) विधेयक, 1991

राजस्थान के विकास की अपनी जटिल समस्याएं हैं। हम सभी प्रदेश का तेजी से विकास चाहते हैं। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। विकास कार्यक्रमें

में नवाचार करना होगा तथा प्रशासन में संवेदनशीलता व कुशलता लानी होगी। वित्तीय साधनों का जुगाड़ करके तथा उनके कुशलतम उपयोग से ही प्रदेश के विकास को और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है। सामंजस्य की भावना से आप विचार-विमर्श करें, एक दूसरे की बात समझें और आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचें इसी बात को ऋग्वेद में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है :—

समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥

(ऋग्वेद 10/191/2)

"आप सबका लक्ष्य एक ही है। एक ही सभा में आप बैठे हैं। अतः आपका मन और चिन्तन भी एक सा ही होना चाहिए। एक सम्मति के साथ आपकी मंत्रणाएं आएं यही मेरी प्रार्थना है, इसी एक स्वर से मैं आप सबका एक साथ आह्वान करता हूं।"

मेरा विश्वास है कि इसी भावना के अनुसार विधायक के रूप में आप प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे।

जयहिन्द।